न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29/2016 (उदयपुर आर्डर)

1. सोनाराम पिता मोगाराम जी गरासिया, निवासी बेकरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मोहन पिता सोनाराम जी गरासिया, निवासी बेकरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामलाल पिता सोनाराम जी गरासिया, निवासी बेकरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)
4. मदनलाल पिता सोनाराम जी गरासिया, निवासी बेकरिया, तहसील कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. महेन्द्र मुथा पिता डॉ॰ अर्जुनमल जी मुथा, निवासी 15–16, अमृत नगर, साईफल के पास, उदयपुर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार कोटडा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, कोटडा
दिनांक 14.09.2016 प्र.सं. 11/2016

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री पी.एल. मारू/सुरेश त्रिवेदी अभि.रे.सं. 1
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 19–02–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेकरिया में आराजी नंबर 3962/2653 रकबा 3 बीघा 13

बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रार्थी के आधिपत्य एवं कब्जे में चली आ रही है। प्रार्थी उदयपुर शहर में निवास करता है एवं व्यापार में व्यस्त रहता है इस कारण महीनें में दो, तीन बार ही आराजी की देखभाल एवं सुरक्षा करता है, जिनका नाजायज लाभ उठाते हुए विपक्षीगण ने उक्त आराजी पर आम रोड़ की तरफ लगभग 60 फिट लम्बाई में अनाधिकृत प्रवेश कर मकान बनाने की गरज से नीवें खोद दी एवं पत्थर के पिलर खड़े कर टीन शेड डालने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः विवादित आराजी के जूज हिस्से पर विपक्षीगण ने जो अवैध निर्माण करा लिया है उसे विपक्षी के खर्चे पर गिराये जाने का आदेश प्रदान किया जावे तथा पूर्व की हिस्से बहाल करायी जाकर जूज हिस्से का पुनः आधिपत्य प्रार्थी को विपक्षीगण से दिलाया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 14–09–2016 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूलवाद के निर्णय तक विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 से 4 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 17–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू एवं सुरेश चन्द्र त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा दिनांक 16–07–2019 को आदेश 41 नियम 27 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर उसके साथ अतिरिक्त जिला कलक्टर उदयपुर की पत्रावली संख्या 4/2017 की आदेशिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उन्हें रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया, जो सच्ची प्रतिलिपि होने से न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लेने की अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचित किऐ एवं बिना सुने एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि

पर अपीलान्ट का कब्जा 100–150 वर्षो से अपने बाप–दादाओं के समय से चला आ रहा है तथा 30–40 वर्षो से कच्चे मकान बने हुए हैं, जिन्हें गिराकर 8–10 पूर्व नये मकानात बनवाये गये, जिनमें अपीलान्टगण निवास कर रहे हैं तथा खाली पड़ी भूमि पर फसले ले रहे हैं, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 अनुसार विवादित आराजी नंबर 3962/2653 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा भूमि ओनारसिंह पिता किशनसिंह की खातेदारी में दर्ज है एवं उसके द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय किये जाने से नामान्तरकरण संख्या 1403 केता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 महेन्द्र मुथा के नाम स्वीकृत हुआ है तथा पर्चा मौका अनुसार अपीलान्ट सोनाराम द्वारा मौके पर नया निर्माण कार्य किया जाना पाया गया है, जबकि अपीलान्ट उसे पुराना निर्माण होना बता रहे हैं, जो मौका रिपोर्ट के विपरीत कथन है। अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थीगण का भूमि से कोई सरोकार नहीं होने के बावजूद निर्माण कार्य किये जाने के कारण उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14–09–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 19–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:58:03 IST
Reason: SelfAttested
Location: